न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 88 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 137

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

1.प्रेमाराम पुत्र मांगीलाल

2.मुनाराम पुत्र मांगीलाल

3.रमेशराम पुत्र मांगीलाल

4.टीपूदेवी पत्नि मांगीलाल

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता वादी
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 28/07/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम खीपली खेड़ा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1034,1038,1621,1670,1672 व 1620 कुल क्षेत्रफल 12.1836 हैक्टयर भूमि एवं ग्राम कपूरड़ी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1707 क्षेत्रफल 14.7305 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 1593 क्षेत्रफल 28.3360 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी संख्या 1 से 3 क पिता व प्रार्थीनी संख्या 04 के पति का अशुद्व नाम मांगाराम दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थी संख्या 1 से 3 क पिता व प्रार्थीनी संख्या 04 की पति वास्तविक नाम मांगीलाल है। विवादित आराजी में अशुद्व नाम की प्रविष्टि होने के कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है,जिसके कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी में दायर अशुद्व प्रविष्टि मांगाराम के स्थान पर मांगीलाल दुरूस्त करवानें हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम खीपली खेड़ा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1034,1038,1621,1670,1672 व 1620 कुल क्षेत्रफल 12.1836 हैक्टयर भूमि एवं ग्राम कपूरड़ी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1707 क्षेत्रफल 14.7305 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 1593 क्षेत्रफल 28.3360 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी संख्या 1 से 3 क पिता व प्रार्थीनी संख्या 04 के पति का अशुद्व नाम मांगाराम दर्ज हो रखा है,जबकि प्रार्थी संख्या 1 से 3 क पिता व प्रार्थीनी संख्या 04 के पति का वास्तविक नाम मांगीलाल है। प्रार्थीगण क पिता का धरेलू बोलचाल भाषा में मांगाराम बोलने के कारण रेकर्ड में अशुद्व इन्द्राज हो रखा है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज किया गया है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता व पति की वल्दियत नाम मांगाराम दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में प्रार्थीग संख्या 1 से 3 के पिता व प्रार्थीनी संख्या 04 के पति का अशद्व नाम मांगाराम के स्थान पर मांगीलाल दुरूस्त किए जाने के आदेश किए जावें।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम खीपली खेड़ा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1034,1038,1621,1670,1672 व 1620 कुल क्षेत्रफल 12.1836 हैक्टयर भूमि एवं ग्राम कपूरड़ी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1707 क्षेत्रफल 14.7305 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 1593 क्षेत्रफल 28.3360 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में अवस्थित है,जिसमें प्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता व प्रार्थीनी संख्या 04 के पति का नाम मांगाराम दर्ज है,जो कि प्रार्थीगण द्वारा अशुद्व होना बताया है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज में प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगीलाल दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत खिपली खेड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण क पिता–पति का सही नाम मांगीलाल होना बताया है। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण के पिता–पति का वर्तमान रिकॉर्ड में अशुद्व नाम मांगाराम दर्ज है,जबकि वास्तविक नाम मांगीलाल है,जो दुरुस्त किए जाने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण के पिता–पति का विवादित आराजी में अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखा है,जो कि प्रार्थीगण की ओर

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

से अपने दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित भी किया है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन –पत्र स्वीकार योग्य है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि में अपने पिता–पति की अशुद्व वल्दियत दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णयः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–खीपली खेड़ा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1034,1038,1621,1670,1672 व 1620 भूमि एवं ग्राम कपूरड़ी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1707 क्षेत्रफल 14.7305 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 1593 क्षेत्रफल 28.3360 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में प्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता व प्रार्थीनी संख्या 04 के पति का अशुद्व नाम प्रविष्टि मांगाराम के स्थान पर सही नाम मांगीलाल दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

28/07/2025
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28/07/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/07/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा